

न्यायालय नायब तहसीलदार .....पीलवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेया

बनान

अप्रार्थी - श्री दशरथसिंह नारायणसिंह निवासी कालेया अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 43/2018

निर्णय —

दिनांक 04.07.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेया में अप्रार्थी के विरुद्ध टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद कालेया के खसरा नम्बर 409 नी. विस्म ही. 30 में रकबा 0.0110 हेक्टा भूमि में मिथी लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर बंध धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर कालेया दस्तावेजाती एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को कालेया के खसरा नम्बर 409 विस्म गै. 30 में रकबा 0.0110 हे. वास्ते का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दखलान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा रकबा अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण जो मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12 रूपये एत वीधा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0110 हे. वास्ते भूमि के 0.132 रूपये लगान का ह. भुजा 7 /- अक्षरे लाल रूपये दत्तन जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा  
उप तहसीलदार पीलवा